छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 375 / 2006

श्रीमती सुषमा गुप्ता,
पार्षद,
स्वामी विवेकानंद वार्ड क्र. 11,
सदर रोड,
अम्बिकापुर (सरगुजा)
(छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
आयुक्त
नगर पालिक निगम,
अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::
(दिनांक 16 जनवरी 2007)

श्रीमती सुषमा गुप्ता निवासी–अम्बिकापुर के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांक 06–03–2006 के द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर से श्री अनिल कुमार शुक्ला, विद्युत प्रभारी के द्वारा पुराने सामानों की बिक्री कर जमा की गई राशि एवं नये सामान के क्रय किये गये सामानों की सूची, वर्ष 1988 से वर्ष 1992 के दौरान क्रय किये गये नये वाहन को एक सप्ताह के अंदर कम कीमत पर बेचने तथा फोरव्हीलर वाहन क्रय करने की अनुमति दिये जाने, विद्युत उपकरणों के खरीदने का विवरण एवं सूची की जानकारी चाही थी। जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के पत्र दिनांक 12–04–2006 के द्वारा अपीलार्थी को जानकारी दी गई। दिनांक 09–08–2006 को अपीलार्थी ने सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम को आवेदन दिया कि सूचना अधिकारी ने 14,500 पृष्ठों की जानकारी का उल्लेख किया है, जबकि वह मांगे गये दस्तावेज अधिकतम 50–100 पेज होंगे, जिसका शुल्क वह देने को तैयार हैं। सूचना अधिकारी के द्वारा इस संबंध में स्पष्ट रूप से आवेदिका को दस्तावेज का शुल्क सूचित नहीं किया। अपीलार्थी ने इसके विरूद्ध अपीलीय अधिकारी को अपील प्रस्तुत की। अपीलीय अधिकारी के द्वारा निर्धारित अवधि में आदेश पारित नहीं किया गया। आयोग के द्वारा दिनांक 13–11–2006 को जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर के द्वारा यह बताये जाने पर कि अपीलार्थी ने प्रथम अपील की है तथा वह विचाराधीन है, यह निर्देश दिये कि प्रथम अपील का निर्णय शीघ्र किया जावे। दिनांक 22–12–2006 को भी जन सूचना अधिकारी के द्वारा प्रथम अपील के निर्णय के

संबंध में आयोग को सूचित नहीं किया। आयोग के अधिकारियों के द्वारा भी आयुक्त, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर से प्रथम अपील में लिये गये निर्णय की जानकारी दूरभाष पर मांगे जाने पर भी जानकारी आयोग को नहीं दी।

3/ आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर एवं अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि उससे अधिक अभिलेख शुल्क मांगा गया तथा निर्धारित अवधि में जानकारी नहीं दी गई एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा भी अपील पर निर्णय नहीं दिया गया। नगर पालिक निगम, अम्बिकापुर की ओर से लिखित में कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा यह बतलाया गया कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी 12–04–2006 को भेज दी गई थी तथा अभिलेखों की प्रति हेतु अभिलेख शुल्क जमा करने के लिए कहा गया था, अभिलेख शुल्क जमा न होने पर अभिलेखों की प्रति नहीं दी गई।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी के संबंध में सूचना अधिकारी नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के द्वारा पत्र दिनांक 12–04–2006 से निर्धारित अवधि में जानकारी दी गई। अपीलार्थी ने जब अभिलेख शुल्क की जानकारी मांगी तो उसे 14,500 पृष्ठों की जानकारी का उल्लेख करते हुए 29,000/– रूपए जमा करने के लिए सूचित किया गया। अपीलार्थी का आरोप है कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी लगभग 100 पृष्ठों की है, अतः इतनी अधिक राशि की मांग किया जाना अनुचित था। उसने यह भी उल्लेख किया कि उसके द्वारा मांगी गई जानकारी की पृष्ठ संख्या स्पष्ट बतलाई जावे, ताकि वह राशि जमा कर सके। जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम के द्वारा उसे कोई सूचना इस संबंध में नहीं दी गई। अपीलार्थी ने अपने पत्र दिनांक 31–05–2006 में यह भी उल्लेख किया कि बिन्दु क्रमांक–2 की जानकारी सूचना अधिकारी के पत्र दिनांक 12–04–2006 के द्वारा दी गई है वह वास्तविक नहीं है तथा जानकारी को छिपाने का प्रयास किया गया है। मांगी गई जानकारी से यह स्पष्ट है कि सूचना अधिकारी का जवाब तर्कसंगत एवं सही जानकारी को प्रतिपादित नहीं करता है। सूचना अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि विगत 20 वर्षों में मर्करी लाईट का क्रय नहीं किया गया तथा पिछले 10 वर्षों से अधिक समय से ट्यूब सेट क्रय नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि नगर पालिक निगम, अंबिकापुर के द्वारा इन वर्षों में खम्भों पर नये मर्करी लाईट एवं ट्यूब–सेट नहीं बदलवाये गये अथवा लगाये गये। अपीलार्थी ने इस तथ्य की ओर सूचना अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया, किन्तु सूचना अधिकारी के द्वारा इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

5/ प्रकरण से यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी के द्वारा काफी विस्तृत जानकारी लगभग 20 से 25 वर्षों की चाही है, जबकि अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्षों की जानकारी उसे प्राप्त करने का अधिकार है। अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बतलाया है कि उसे किस अवधि की कौन–सी जानकारी चाहिए। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी ने समय–समय पर मूल आवेदन–पत्र के अतिरिक्त और अतिरिक्त जानकारी मांगी, जिससे कि भ्रम की स्थिति हुई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी से यह जानकारी प्राप्त करना थी कि वास्तव में अपीलार्थी कौन–सी जानकारी चाहती है।

6/ प्रकरण से स्पष्ट है कि विस्तृत जानकारी अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई है, अतः जन सूचना अधिकारी, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के अंदर तिथि निर्धारित कर अपीलार्थी को निःशुल्क अभिलेखों का अवलोकन करायें तथा अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी 100 पृष्ठ तक निःशुल्क उपलब्ध कराई जावे। यदि जानकारी 100 पृष्ठों से अधिक है तो अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क की स्पष्ट जानकारी देते हुए शेष अभिलेखों का अभिलेख शुल्क लेकर जानकारी उपलब्ध कराई जावे।

7/ चूंकि जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत विधि अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है तथा अपीलीय अधिकारी के द्वारा भी आयोग के निर्देशों के उपरांत भी अपील के निराकरण के संबंध में आयोग को सूचित नहीं किया गया है, जबकि प्रथम अपील के निराकरण करने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। प्रतिअपीलार्थी–आयुक्त, नगर निगम का यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी ने छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी थी, अतः उसने अपील का निराकरण नहीं किया, मान्य नहीं है। नियमानुसार उसे अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित अवधि में अपील का निराकरण करना था। जन सूचना अधिकारी के द्वारा भी अपील के निराकरण की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी आयोग के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि अपील लंबित है तथा अपीलार्थी के द्वारा प्रथम अपील लंबित रहते हुए द्वितीय अपील की गई है, तथ्यों के विपरीत है। अतः उक्त दोनों अधिकारी जन सूचना अधिकारी एवं आयुक्त, नगर पालिक निगम को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है। अपीलार्थी के द्वारा पूर्ण जानकारी नहीं देने के कारण प्रतिअपीलार्थी पर अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है, प्रकरण के तथ्य यह स्पष्ट करते हैं कि अपीलार्थी के द्वारा भी अपने आवेदन–पत्र में स्पष्ट रूप से कौन–सी जानकारी किस अवधि की चाहिए यह स्पष्ट नहीं किया था, अतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। यह नहीं माना जा सकता कि प्रतिअपीलार्थी ने जानबूझकर अथवा द्वेषवश अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। फिर भी चूंकि प्रतिअपीलार्थी के द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया तथा निर्धारित अवधि में उसे जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी, जिससे उसे आर्थिक एवं मानसिक क्लेश हुआ, अतः आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर को यह निर्देशित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को 200/– रूपए की क्षतिपूर्ति प्रदान करें।

8/ उपरोक्त निर्देशों के साथ अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

हस्ता0/– 16–1–2006
(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त